न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

<u>निगरानी संख्या 10/2015</u>

प्रार्थीगण	बनाम्	अप्रार्थीगण
1.आसुराम पुत्र मिसराजी 2.आम्बाराम पुत्र गणेशाजी 4.मनाराम पुत्र गणेशाजी 4.किशोर कुमार पुत्र हंजारीमल जातियान माली निवासीयान ग्राम बेरा सेदागर सिवाना तहसील सिवाना		1सावंलराम पुत्र अणदाजी 2.किशोर कुमार पुत्र सावंलराम जाति माली निवासी बेरा सेदागर सिवाना तहसील, सिवाना 3..ग्राम पंचायत सिवाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सिवाना

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध निरस्त करने पट्टा संख्या 37 दिनांक 20.07.2009 जो ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 सावलराम के नाम जारी किया गया।

उपस्थितः– 1. प्रार्थी एंव अधिवक्ता अनुपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से 03 एंव अधिवक्ता अनुपस्थित।

<u>निर्णय</u> दिनांक 15.11.2017

1. संक्षेप में प्रार्थीगण की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 01 सावंलराम पुत्र अणदाजी ने सरपंच ग्राम पंचायत सिवाना के समक्ष एक आवेदन पत्र पेश कर ग्राम पंचायत सिवाना की आबादी भूमि में बमोहल्ला बेरा सेदगार के पास पुश्तैनी एंव कब्जा सुदा 3000 वर्ग फीट पर कब्जा बताते हुए भूखण्ड का पट्टा दिलवाने का निवेदन किया। इस पर ग्राम पंचायत सिवाना ने पत्रावली कायम कर भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में नियम 157(1)(ख) के तहत 200/–वसूल कर दिनांक 20.07.2009को आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 37 जारी कर दिया। प्रार्थीगण का यह कथन है कि अप्रार्थी संख्या 01 को जारी पट्टा की भूमि चौक की भूमि है, जिस पर गलत एंव नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया गया। प्रार्थीगण ने गलत एंव नियम विरूद्ध पट्टा जारी होना बताते हुए अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा को खारिज करने हेतु यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

जा सकता है उपरोक्त परिस्थितियों में निगरानी न्यायालय ...

2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को कारण बताओ जारी किये एंव ग्राम पंचायत सिवाना से पट्टा से सम्बनित रिकॉर्ड तलब किया।

3. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री अमित सोलंकी हाजिर आये। जिन्हे जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया,फलस्वरूप जवाब बन्द किया गया

4. अप्रार्थी संख्या 01 सावंलराम ने दिनांक 30.08.2016 को लिखित बहस पेश की। वक्त बहस पक्षकारान के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया। निगरानी पत्रावली एंव ग्राम पंचायत सिवाना से प्राप्त रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण का यह कथन कि अप्रार्थी संख्या 01 को जारी पट्टा की भूमि चौक की भूमि है जिस पर गलत रूप से पट्टा जारी करवाया है। मगर इस कथन के सम्बन्ध में,उसका प्रमाण भार प्रार्थीगण पर था। प्रार्थीगण को यह साबित करना था कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा की भूमि चौक की भूमि है है। मगर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थीगण का यह कथन कि अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष मे जारी पट्टा ग्राम पंचायत ने नियम विरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने कब्जा सुदा पैतृक भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत सिवाना के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया। सरपंच ने इस आवेदन को पंचायत की बैठक में रखने के आदेश दिये हैं। जिस पर मिसल कायम की गई है। मौका कमेटी से मौका रिपोर्ट मंगवाने के आदेश हुए है। तत्पश्चात् नियम 148 के तहत निर्धारित प्रारूप में एक माह का नोटिस जारी कर चस्पा कराया हैं नोटिस के साया होने से आपतियां आमंत्रित की गई हैं। मगर किसी भी व्यक्ति ने इस सम्बन्ध में कोई आपति पेश नहीं की है।ग्राम पंचायत की पत्रावली में भूखण्ड के पड़ोसी घेवरराम पुत्र अमरामजी एंव राणाराम पुत्र मादाजी जाति माली निवासी सिवाना ने शपथ पत्र पेशकर ग्राम सिवाना की आबादी भूमि बेरा सेदागर पिपलून रोड पर सावंलराम पुत्र अणदाराम माली का पुराना कब्जा सुदा आवासीय भूखण्ड बताया। अप्रार्थी का आबादी भूमि में पुराना मकान एंव कब्जा होने से अप्रार्थी द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व नक्शा में दर्शाये गये पड़ोस व नाप के अनुरूप एंव पुराने कब्जे के आधार पर ग्राम पंचायत ने नियम 157(1)(ख)के तहत पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड से हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि ग्राम पंचायत सिवाना ने निर्धारित प्रकिया अपनाकर,नियमों में अंकित प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी संख्या 01 सांवलराम के पक्ष में नियम 157(1)(ख) के तहत आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 37 दिनांक 20.07.2009 जारी किया है। जिसमें कोई अनियमितता एंव त्रुटि प्रतीत

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

जा सकता है उपरोक्त परिस्थितियो मे निगरानी न्यायालय को विक्रय

नहीं हुई है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख पर विक्रय पत्र का निष्पादन कर उपपंजीयन कार्यालय सिवाना में पंजीयन करवा दिया है जिससे अप्रार्थी का इस पट्टा की भूमि पर स्वामित्व हासिल हो चुका हैं। ऐसी स्थिति में इस पट्टा विलेख को खारिज करने हेतु कोई ठोस आधार नही हैं। प्रार्थीगण निगरानी को साबित करने में असमर्थ रहा हैं।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण की निगरानी बलहीन एंव सारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 15.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर